

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1423] No. 1423] नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2016/ज्येष्ठ 18, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2016/ JYAISTHA 18, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2016

का.आ. 2022(अ).— केंद्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) (जिसे आगे चलकर उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 के खण्ड (ड.) के अधीन अधिसूचित, उपभोग की गई ऊर्जा की तीव्रता या मात्रा और ऊर्जा दक्ष उपकरण के परिवर्तन के लिए आवश्यक निवेश की राशि और उद्योग द्वारा ऊर्जा में निवेश और इसकी उपलब्धता की क्षमता, उद्योग द्वारा आवश्यक ऊर्जा दक्ष मशीनरी और उपकरण के विषय में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 394(अ) तारीख 12 मार्च, 2007 (जिसे आगे चलकर उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा नौ ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों को उक्त अधिनियम की अनुसूची में अभिहित उपभोक्ता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II. खंड 3, उप- खंड (ii) तारीख 19 मार्च, 2007 में प्रकाशित किया गया:

अत: अब केंद्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

रेलवे से संबन्धित उप-पैरा (7) के, खण्ड (क) में दी गई तालिका में -

(i)

"क्र.सं.	मण्डलीय रेलवे",

प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"क्र.सं.	मण्डलीय रेलवे
(1)	(2) ";

2902 GI/2016 (1)

- (ii) क्रम संख्या 7 के सामने, स्तम्भ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-"उत्तर सीमांत":
- (iii) क्रम संख्या 11 के सामने, स्तम्भ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"दक्षिण पूर्व मध्य"।

[फा. सं. 10/13/2002-ईएम]

राजपाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 394(अ), तारीख 12 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. सं. 3542(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2016

S.O. 2022(E).—Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, having regard to the intensity or quantity of energy consumed and the amount of investment required for switching over to the energy efficient equipment and capacity of industry to invest in it and availability of the energy, energy efficient machinery and equipment required by the industry, notified under clause (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) [hereinafter referred to as the said Act], nine energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, as designated consumers by notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O 394(E), dated the 12th March, 2007 [hereinafter referred to as the said Order] published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 19th March, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of section 14 of the said Act, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments further to amend the said Order, namely:-

In sub-paragraph 7 relating to Railways, in clause (a), in the Table,-

(i) for the entries,-

"S.No Zonal Railway",

the following shall be substituted, namely:-

"S.No	Zonal Railway
(1)	(2) ";

- (ii) against serial number 7, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:"North Frontier";
- (iii) against serial number 11, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:
 "South East Central".

[F. No. 10/13/2002-EM]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007 and subsequently amended vide S.O. 3542(E) dated the 29th December, 2015.